

MD, RM SCL
27/9

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें
राजस्थान सरकार

क्रमांक चि.प्र./नि:शुल्क दवा/2011/664-754

दिनांक : 28/9/11

समस्त संयुक्त निदेशक, (जोन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय: नि:शुल्क दवा वितरण योजना बाबत संशोधित निर्देश।

संदर्भ: निदेशालय का पत्र क्रमांक चि.प्र./नि:शुल्क दवा/2011/531-620 दिनांक
21.09.2011

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में संशोधित निर्देशानुसार जहां-जहां पर दिनांक
02.10.2011 एवं दिनांक 04.10.2011 को नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य
मेले आयोजित किये जा रहे हैं, वहां-वहां पर ही चिकित्सालय सामान्य दिवस के समयानुसार
(Full Working Day) कार्य करेंगे। अवकाश के दिनों में कार्य करने पर कार्मिकों को क्षतिपूर्ति
OFF देय होगा। यह व्यवस्था प्रभारी चिकित्सालय अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प्र. क. विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

29 SEP 2011 निदेशक (एड्स/चिप्र)

क्रमांक चि.प्र./नि:शुल्क दवा/2011/

डायरी क्रमांक

9569

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. मिशन निदेशक (एनआरएचएम), मुख्यालय।
3. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय।

निदेशक (एड्स/चिप्र)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

27/9